मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 219/2024

1. रणवीर पुत्र भूरा राम जाति जाट, साकिन 40. एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. पाला राम पुत्र भूरा राम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. सुनीलकुमार पुत्र भूरा राम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—— वादीगण

–:बनाम:–

1. भूराराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :– 22/01/2025

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री बलवीर मोहयल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – तहसील पीलीबंगा चक 40 एनडीआर के खाता सं. 73 के प.नं. 75/353, 78/352, 79/352 की कुल 8.679 हैक्ट. कमाण्ड म.गै.मु. मे से 1/7 हिस्सा व चक 43 एनडीआर–ए के खाता सं. 52 के प.नं. 72/354, 73/354 की कुल 7.465 हैक्ट. कमाण्ड अ.क. मे से 1/7 हिस्सा व चक 43 एनडीआर–ए के खाता सं. 45 के 72/354 के किला नं. 6 ता 15 की 2.530 हैक्ट. कृषि भूमि वादीगण को ब. हि. ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 को चक 43 एनडीआर–ए के खाता सं. 45 की 2.405 हैक्ट. शेष कृषि भूमि यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा